रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29112023-250298
CG-DL-W-29112023-250298

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2023, शनिवार/कार्तिक 21—कार्तिक 27, 1945
No. 44] NEW DELHI, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2023, SATURDAY/KARTIKA 21—KARTIKA 27, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सहायक निदेशक (बेतार) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप कमांडेंट (बेतार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप कमांडेंट (बेतार), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2023

सा.का.नि.170.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1973 के पदों से संबंधित है, के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I) , स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी),स्टाफ कार चालक (श्रेणी- I),स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2023 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:-**ये नियम इनसे संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदिः-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वह स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के मामले मेंसंघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से करके और कारणों को लिखित रूप में अभिलेखवद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद अथवा अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6 (रू 35,400 – 1,12,400/-)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाना वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे स्तर जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** स्टाफ कार चालकश्रेणी-। जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-5(रू 29,200–92,300/-) के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है। प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार हेतु) निम्नलिखित होंगे- (1) महानिदेशक,पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - अध्यक्ष (2) उप निदेशक,पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - सदस्य (3) उप सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय- सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति,(पुष्टि के संबंध में विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे- (1) निदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - अध्यक्ष (2) उप निदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - सदस्य (3) सहायक निदेशक,पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं ।

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	09* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग'अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर- 5 (रू 29,200 – 92,300/-)	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु 25,500-81,100/-) के ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार चालक (श्रेणी- II)और स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी केवेतन-मैट्रिक्स स्तर 2(19,900-63,200/- रुपये) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ सरकारद्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेडपरीक्षा उत्तीर्ण की हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित होंगे-** (1) सहायक निदेशक (प्रशासन), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - अध्यक्ष (2) अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिकअधिकारी,पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - सदस्य (3) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	8* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर- 4 (रू 25,500 – 81,100/-)	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-2(रु 19,900- 63,200/-) के ग्रेड में नौवर्ष की नियमित सेवा की है और सरकारद्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेडपरीक्षा उत्तीर्ण की है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित होंगे- (1)सहायक निदेशक (प्रशासन), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - अध्यक्ष (2)अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - सदस्य (3) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	7* (2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर- 2 (रू 19,900 – 63,200/-)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तकशिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण-** अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक होगी,न कि वह तारीख जो असम,मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप खंड,अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र,लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रके अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य : (i) मोटर कार के लिए वैध चालनअनुज्ञप्ति; (ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थियों को वाहन में छोटी-मोटी खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष काअनुभव। **टिप्पण 1.-** अनुभव संबंधीअर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलकी जा सकती है। **टिप्पण 2.-** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, यदि चयन के किसी भी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियोंके उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती/पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिक के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति /आमेलन :** पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1(रु 18000-56900) में नियमित डिस्पैच राइडर (ग्रुप सी) और ग्रुप सी कर्मचारीजिनके पास मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिएचालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके न होने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर के पद पर कार्यरत कर्मचारी या नियमित समूह-ग कर्मचारीजो स्तंभ (7) के अधीन आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीखसे उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति,(पुष्टि के संबंध में विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे- (1)सहायक निदेशक(प्रशासन),पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - अध्यक्ष (2) अनुभाग अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी,पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - सदस्य (3) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरोद्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं होता।

	किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण1.**-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**-प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/208/2017-पीटी/बीपीआरएंडडी]

डब्ल्यू. हिटलर, अवर सचिव

New Delhi, the 14th November, 2023

G.S.R. 170.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Bureau of Police Research and Development Staff Car Driver (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**-These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**–The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedules.

5. **Disqualifications**–No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**-Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission in case of Staff Car Driver (Special Grade), relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Special Grade).	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B',Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35,400-1, 12,400/-).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption; level from which promotion or deputation /absorption to	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade-I in level-5 (Rs. 29,200-92,300/-) in the pay matrix with three years of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director General, Bureau of Police Research and Development – Chairman; 2. Deputy Director, Bureau of Police Research and Development – Member; 3. Deputy Secretary or Director, Ministry of Home Affairs – Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director, Bureau of Police Research and Development – Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

		2. Deputy Director, Bureau of Police Research and Development – Member; 3. Assistant Director, Bureau of Police Research and Development – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade I).	09* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C',Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29,200-92,300/-)	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the pay matrix with six years of regular service in grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Ordinary Grade in level-2 (Rs. 19,900-63,200/-) in the pay matrix; and have passed the trade test, specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Assistant Director (Administration), Bureau of Police Research and Development – Chairman; 2. Section Officer or Administrative Officer, Bureau of Police Research and Development – Member; 3. One Gazetted officer to be nominated by the Director General, Bureau of Police Research and Development – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Grade II).	08* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C',Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion: Staff Car Driver (ordinary grade) in level-2 (Rs. 19,900-63,200/-) in the pay matrix with nine years of regular service in the grade and passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** - 1. Assistant Director (Administration), Bureau of Police Research and Development – Chairman; 2. Section Officer or Administrative Officer, Bureau of Police Research and Development – Member; 3. One Gazetted officer to be nominated by the Director General, Bureau of Police Research and Development – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Ordinary grade).	07* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200/-).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
18-27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note.**-The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Anadaman and Nicobar Islands, Union territory of Ladakh and Union territory of Lakshadweep.	Essential: (i) possession of a valid driving licence for motor car; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10th standard. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1.**-The qualification regarding experience arerelaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing. Note 2.- In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of the selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits orre-employed.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation/ absorption, failing which by direct recruitment. For Armed Forces	**Deputation/ Absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in level-1 (Rs. 18000- 56900/-) in the pay	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Assistant Director	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Personnel: Deputation/ re-employment	matrix in the Bureau of Police Research and Development who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in the level-1 in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1.**- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.**- The maximum age-limit for appointment by deputation/ absorption shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of application.	(Administration), Bureau of Police Research and Development – Chairman; 2. Section Officer or Administrative Officer, Bureau of Police Research and Development – Member; 3. One Gazetted officer to be nominated by the Director General, Bureau of Police Research and Development – Member.	

[F. No. 23011/208/2017-PT/BPR&D]

W. Hitler, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2023

सा.का.नि.171.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण में तकनीक विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनिमयन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (तकनीकी विशेषज्ञ), भर्ती नियम, 2023 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।